2026:AHC:210034

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 42989 of 2026

Aasif

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P.

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s) : Kushagra Srivastava, Saumya Srivastava, Shahrukh

Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु.अ.सं. 31 सन 2010, अन्तर्गत धारा 420/ 482/ 483 भा.दं.सं. एवं अंतर्गत धारा 3/7 ई.सी. एक्ट एवं अंतर्गत धारा 62/65 इन्डियन कॉपीराइट एक्ट एवं अंतर्गत धारा ट्रेड मार्क एक्ट थाना सरधना, जनपद मेरठ जिसमें एडिशनल चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट कोर्ट न. 01 मेरठ, द्वारा पारित एन.बी.डब्लू आदेश दि० 20.07.2023 से 27.08.2026 को अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह वाद दायर करके उपरोक्त वाद में आवेदक के विरुद्ध निर्गत दिनांकित उपरोक्त एन०बी०डब्लू० अधिपत्रों/आदेशों को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पुनः यह अनुरोध किया कि यह आवेदन पत्र, विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध निर्गत एन०बी०डब्लू०, एन.बी.डब्लू आदेश दि० 20.07.2023 से 27.08.2026 के विरूद्ध दायर किया गया है तथा नियत तिथि पर आवेदक के विचारण न्यायालय में अनुपस्थित हो जाने के कारण उनके विरुद्ध उपरोक्त एन०बी०डब्लू० जारी कर दिया गया है, अब आवेदक अवर न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होने को तत्पर हैं।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध के दृष्टिगत यह आवेदन पत्र इस समुक्ति के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से 15 दिन के अन्दर संबंधित

विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करते हैं तथा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा।

7. उपरोक्त वाद में पारित सभी कार्यवाही एन०बी०डब्लू० का क्रियान्वयन आज से 15 दिन के लिए सुषुप्तावस्था में रहेगी।

8. यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता तो संबंधित विचारण न्यायालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 6, 2026
S.Mishra

Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad